निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।

आदेश

संo संo–4/विविध–6–09/2015 526(4) पटना, दिनांक– 1/4/19

स्वास्थ्य विभागान्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर विभागीय ज्ञापांक–1447(4) दिनांक–06.12.2017 के द्वारा विभिन्न तकनीकी पदों पर कार्यरत 463 संविदा कर्मियों की अनुबंध अवधि मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से दिनांक–31.03.2019 तक अवधि विस्तारित किया गया तथा शेष बचे हुए 320 अनुबंधित कर्मियों का अवधि विस्तार करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये मतव्य के अनुरूप विभागीय ज्ञापांक–217(4) दिनांक–04.02.2019 के द्वारा दिनांक–31.03.2019 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) विस्तारित किया गया है। संविदा के आधार पर कार्यरत् कुल 783(सात सौ तिरासी) अनुबंधित कर्मियों का अवधि दिनांक–31.03.2019 को समाप्त हो रही है। जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–12534 दिनांक–17.09.2018 संलग्न परिशिष्ट (क) के आलोक में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को स्वास्थ्य विभाग के अधीन संविदा के आधार पर नियोजित विभिन्न पारामेडिकल कर्मियों पर लागू किए जाने का निम्नवत संसूचित किया जाता है:–

I. स्वास्थ्य विभाग के अधीन सृजित पदों पर नियोजित विभिन्न पारामेडिकल कर्मियों की नियोजन अवधि के संबंध में:–

(1) विभागान्र्तगत संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत विभिन्न पदों का नियोजन पूरी तरह अस्थायी है तथा उच्चस्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में नियमित नियुक्ति अथवा सेवानिवृति की आयु , जो भी पहले लागू हो, तक के लिए है। फलतः संविदा कर्मियों का प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि विस्तार किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) अस्वस्थ्यता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण नियमित नियुक्ति अथवा सेवानिवृति की आयु, जो पहले लागू हो, के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।

(3) संविदा नियोजन की अन्य शर्त्ते नियोजन के समय निर्गत नियोजन पत्र/एकरारनामा में अंकित यथावत रहेंगी।

II. विभागान्तर्गत संविदागत नियोजित पारामेडिकल पदों के अवकाश के संबंध में :–

1. आकस्मिक अवकाश–सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 12 दिन एवं सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 16 दिन।
2. अर्जित अवकाश–एक वर्ष में 16 दिन (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) एवं 60 दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है।
3. मातृत्व अवकाश–प्रसुति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 "The Maternity Benifit (Amendment) Act, 2017" के आलोक में कंडिका (त) में मातृत्व अवकाश के संबंध में अनुशंसा की गयी है।
4. पितृत्व अवकाश.–15 दिन (दो बच्चों तक)।
5. अवैतनिक अवकाश–30 दिन।

<u>अवकाश के संबंध में अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश –</u>

1. उपर्युक्त क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 के अवकाश की स्वीकृति नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रदान की जायेंगी।
2. अवकाश उपभोग की सूचना पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के कार्यालय तथा मानदेय भुगतान के कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिर्वाय होगा।
3. अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। अनाधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्यवाई की जा सकती है। जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाये जाते हैं, उनके पद को रिक्त घोषित किया जायेगा एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेंगी।

III. उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के आलोक में उपर्युक्त निर्णय केवल उन्हीं कर्मियों के संबंध में लागू होगी जिन नियोजित कर्मियों के संबंध में पद स्वीकृत हो, नियोजित कर्मी पद की अर्हता रखता हो, पद विज्ञापित किया गया हो, नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया गया हो एवं चयन प्रक्रिया अपनायी गयी हो, नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई हो एवं सरकार द्वारा स्थापित आरक्षण के सिद्धांत का अनुपालन किया गया हो अर्थात नियोजन की प्रक्रिया/नियोजन वैध हो।

उक्त प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य की सहमति प्राप्त है।

(डॉ० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें,बिहार पटना।

ज्ञापांक–......526(4)....../**पटना, दिनांक**–.....11/4/19.....

प्रतिलिपि–सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल/सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज/प्रचार्य, दंत महाविद्यालय अस्पताल/सभी निदेशक, अतिविशिष्ट अस्पताल/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सामान्य प्रशासन विभाग को उनके संकल्प ज्ञापांक–12534 दिनांक–17.09.2018 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण) के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–04 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई०टी० मनेजर, स्वास्थ्य विभाग को निदेशित है कि इस आदेश को विभागीय साईड पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें,बिहार पटना।